भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3188

दिनांक 09 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जनसंख्या नियंत्रण

3188. श्री वरुण चौधरी:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा कोई उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में जन्म नियंत्रण के लिए दम्पतियों को प्रोत्साहित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण इस प्रकार है:-

1. **विस्तारित गर्भनिरोधक विकल्पों में** कंडोम, कंबाइंड ओरल गर्भनिरोधक गोलियां, अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण (आईयूसीडी), नसबंदी, इंजेक्शन गर्भनिरोधक एमपीए (अंतरा कार्यक्रम), सेंट्रोमैन (छाया) और आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां शामिल हैं।

2. गर्भ निरोधकों और परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने के लिए तेरह राज्यों में **मिशन परिवार विकास** लागू किया गया।

3. **नसबंदी स्वीकारकर्ताओं के लिए प्रतिपूर्ति राशि** योजना नसबंदी के लिए लाभार्थियों को मजदूरी के नुकसान के लिए प्रतिपूर्ति राशि प्रदान करती है।

4. **प्रसवोत्तर अंतर्गर्भाशयी** गर्भनिरोधक उपकरण (पीपीआईयूसीडी), गर्भपातोत्तर अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण (पीएआईयूसीडी), और प्रसवोत्तर नसबंदी (पीपीएस) के रूप में गर्भावस्था के बाद गर्भनिरोधक।

5. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिवार नियोजन और सेवा वितरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल **'विश्व जनसंख्या दिवस अभियान' और 'पुरुष नसबंदी पखवाड़ा'** मनाया जाता है।

6. **घर पर गर्भनिरोधक प्रदायगी योजना** के तहत आशा कार्यकर्ताओं द्वारा **लाभार्थियों के घरों में गर्भनिरोधक** पहुँचाए जाते हैं।

7. **परिवार नियोजन संभार तंत्र प्रबंधन सूचना प्रणाली** (एफपीएलएमआईएस) स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के सभी स्तरों पर परिवार नियोजन सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए है।

सरकार ने दम्पतियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहल की हैं, जैसे महिला नसबंदी, पुरुष नसबंदी, आईयूसीडी सम्मिलन और क्षतिपूर्ति योजना के तहत लाभार्थियों को मजदूरी प्रतिपूर्ति राशि प्रदान करना।

*****